

पीठासीन अधिकारी - रमेश कुमार आर.ए.एस.

संख्या - 39/2017

वादी

प्रतिवादीगण

कोजाराम पुत्र पैलाद कौम बिश्नोई  
निवासी चितलवाना तहसील  
चितलवाना जिला जालोर (राज.)

बनाम

1- सोनाराम पुत्र पैलाद कौम बिश्नोई निवासी  
चितलवाना  
2- तहसीलदार (भूमिधारी) चितलवाना

दावा बाबत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति :-

- 1- वादी वकील श्री भगवतीप्रसाद बालौत
- 2- प्रतिवादीगण संख्या 01 एक पक्षीय।
- 3- प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से राज पेरोकार नायब तहसीलदार चितलवाना

निर्णय

दिनांक 29-6-18

1- इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05-06-2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसके संदर्भ में तहसीलदार चितलवाना द्वारा क्रमांक/भू.अ./18/1890 दिनांक 29-06-2018 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया तथा अपने प्रस्ताव में बताया कि वाद संख्या 39/2017 निर्णय दिनांक 05-06-2018 अनवान कोजाराम बनाम सोनाराम में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में पटवारी हल्का चितलवाना एवं भूअभिलेख निरीक्षक चितलवाना द्वारा मौका स्थिति अनुसार प्राथमिक डिक्री की जांच कर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जो निम्नानुसार है :-

सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
	कोजाराम पुत्र पैलाद कौम बिश्नोई साकिनदेह खातेदार	2801 में से	2.095	बारानी दोयम	2.62
		2853 में से	0.45	बारानी सोयम	0.45
		2869 में से	-	-	-
		2870 में से	0.86	बारानी दोयम	1.08
		2880 में से	0.035	बारानी दोयम	0.04
		2881 में से	0.26	बारानी दोयम	0.32
		3050	0.89	बारानी प्रथम	1.78
		3052 में से	0.37	बारानी प्रथम	0.74
	योग	08	4.96	-	7.03



सहायक कलेक्टर चितलवाना  
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

काजीराम पुत्र पैलाद कौम बिश्नोई खातेदार	2801 में से	2.095	बारानी दायम	2.62
	2853 में से	0.45	बारानी दायम	0.45
	2869 में से	0.72	बारानी दायम	
	2870 में से	—	—	—
	2871	0.04	बारानी दायम	
	2872	0.09	बारानी दायम	
	2880 में से	0.035	बारानी दायम	
	2881 में से	0.26	बारानी दायम	
	3052 में से	1.26	बारानी प्रथम	2.52
	कुल	09	4.95	—
काजीराम, सोनाराम पि० पैलाद कौम बिश्नोई साकिन्देह खातेदार	2869 में से (नर्मदा नहर)	0.15	बारानी दायम	
	2869 में से (रास्ता हेतु)	0.03	बारानी दायम	
	2870 में से (सडक)	0.05	बारानी दायम	
	2870 में से (रास्ता)	0.05	बारानी दायम	
	2870 में से (रास्ता)	0.02	बारानी दायम	
कुल	05	0.30	—	0.37

उपरोक्त अनुसार प्रस्तावित बंटवाडे को संलग्न नक्शा प्रदर्श 'अ' में अलग अलग  
सो से दर्शाया हुआ है। अतः उपरोक्तानुसार बंटवाडा करने के प्रस्ताव तैयार कर बंटवाडा की  
अनुशास की गई है।


इस प्रकार उपरोक्त प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव अनुसार खातेदारान के हिस्से की  
आराजी का नक्शा लट्ठा में तरमीम करने एवं पृथक -पृथक खाते में दर्ज करने के आदेश  
तहसीलदार चितलवाना को दिये जाते है। डिक्री पर्चा उक्तानुसार जारी हो। पक्षकारान  
अपना-अपना खर्चा वहन करे।



(रमेश कुमार)

सहायक कलेक्टर चितलवाना  
रूपखण्ड अधिकारी - चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 29/6/2018 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश कुमार)

सहायक कलेक्टर चितलवाना  
रूपखण्ड अधिकारी - चितलवाना